रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 1995/पौष 2, 1917
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 1995/PAUSA 2, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

**General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)**

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 557.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रिपुसूदन दयाल, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, 2 नवम्बर, 1995 तक अपने वेतन के अतिरिक्त 800/- रु. (केवल आठ सौ रु.) प्रतिमाह तथा इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के लिए 2000/- रु. प्रतिमाह या वेतन का 10 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[संख्या के 11017/1/95/यू. एस. II(ii)]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 28th November, 1995

G.S.R. 557.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Ripusudan Dayal, Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred from the Sikkim High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800 (Rupees eight hundred only) per mensem upto 2nd November, 1995, and thereafter at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensem, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as Judge of the Allahabad High Court.

[No. K-11017/1/95-US-II (ii)]
SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 558.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजकुमार महाजन, जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, वेतन के अतिरिक्त 2 नवम्बर, 1995 तक 800/- रु. (केवल आठ सौ रु.) प्रतिमाह तथा उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के लिए 2000 रु. प्रतिमाह या वेतन का 10 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[संख्या के.-11017/1/95-यू.-एस -II (4)]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 29th November, 1995

G.S.R. 558.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Raj Kumar Mahajan, Additional Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred from the Himachal Pradesh High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800/- (Rupees eight hundred only) per mensem upto 2nd November, 1995, and thereafter at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensem, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as an Additional Judge of the Allahabad High Court.

[No. K-11017/1/95-US-II(iv)]
SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 559 भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र प्रताप वधवा, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, 2 नवम्बर 1995 तक अपने वेतन के अतिरिक्त रिक्त 900 रु. (नो सौ रुपए) प्रति माह तथा इसके बाद पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के लिए 2000/- रु. (दो हजार रुपए) प्रति माह या वेतन का 10 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[संख्या के. 11017/1/95 यू. एस. (I)]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 29th November, 1995

G.S.R. 559.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Devindar Pratap Wadhwa, Chief Justice of the Patna High Court, who has been transferred from the Delhi High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 900 (Rupees nine hunred only) per mensem upto 2nd November, 1995, and thereafter at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensem, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as Chief Justice of the Patna High Court.

[No. K-11017/1/95-US-II(i)]
SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 560.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मलय सेनगुप्ता, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, 2 नवम्बर 1995 तक अपने वेतन के अतिरिक्त 800/- रु. (केवल आठ सौ रु.) प्रतिमाह तथा इसके बाद सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के लिए 2000/- रु. (दो हजार रुपए) प्रतिमाह या वेतन का 10 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के 11017/1/95 य. एस. II(iii)]
श्रीमती वीना, ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 29th November, 1995

G.S.R. 560.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Malay Sengupta, Judge of the Sikkim High Court, who has been transferred from the Calcutta High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800/- (Rupees eight hundred only) per mensem upto 2nd November, 1995, and thereafter at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensem, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as Judge of the Sikkim High Court.

[No. K-11017/1/95-US-II(iii)]
SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

गृह मंत्रालय

(अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 561.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 1995 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे सम्बद्ध वेतनमान वही होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में बताया गया है ।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं:—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे सम्बन्धित अन्य मामले वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में दिए गए हैं ।

4. निरर्हता :—

वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार से यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. ढील देने की शक्ति:—

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह उसके लिए कारणों को लिखित रूप में देते हुए इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग, प्रवर्ग के व्यक्ति को आदेश द्वारा ढील दे सकती है ।

6. व्यावृत्ति:—

इन नियमों में दी गयी कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती वाले के लिए आयु सीमा | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी | 1*.(1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | केन्द्र सरकार सेवा समूह "ख" राजपत्रित अनिपिकवर्गीय | रु. 2000-60-2300 लागू नहीं होता व.रो.-75-3200-100-3500 | | 30 वर्ष से अधिक नहीं, (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है) । | |

| | | | 7 |
|---|---|---|---|
| | | | टिप्पणी:—आयु सीमा के निर्धारण की तारीख भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपमण्डल, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप में रहने वाले आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं) में आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| अनिवार्य:<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री) या समकक्ष ।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा समकक्ष संस्थान की पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा ।<br>(iii) किसी पुस्तकालय में व्यावसायिक कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।<br>अथवा<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या समकक्ष ।<br>(1) उम्मीदवार के अन्यथा योग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में ढील दे सकता है ।<br>टिप्पणी:—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता/अर्हताओं में ढील दी जा सकती है, यदि संघ लोक सेवा आयोग चयन के किसी चरण पर यह समझे कि आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए इन समुदायों में से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार मिलने की सम्भावना नहीं है । | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा इस तरीके से न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा । |

8

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष ।

| यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी गठन क्या है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :<br>केन्द्र सरकार के अधीन वे अधिकारी—<br>(क) जो नियमित आधार पर समकक्ष पद पर<br>(i) कार्य कर रहे हों, अथवा<br>(ii) जिन्होंने रु. 1640—2900 के वेतनमान या समकक्ष वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा<br>(iii) जिन्होंने रु. 1400—2300/2600 के वेतनमान या समकक्ष वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो । और<br>(ख) जो कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति ।<br>1. सलाहकार, अन्तर्राज्य परिषद—अध्यक्ष,<br>2. निदेशक (प्रशासन) अन्तर्राज्य—सदस्य<br>3. निदेशक (प्रशासन) गृह मंत्रालय—सदस्य<br>4. उप-सचिव, अन्तर्राज्य परिषद—सदस्य<br>टिप्पणी:—स्थायी करने से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवृत्त आयोग को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, लेकिन यदि आयोग इसे अनुमोदित नहीं करता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य करेगा । | सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

[फा. सं. ए.—12011/8/94—आई एस सी]

पी. पी. अलम, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Inter State Council Secretariat)

New Delhi, the 20th November 1995

G.S.R. 561.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Inter State Council Secretariat under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Inter-State Council Secretariat, Assistant Library and Information Officer Recruitment Rules, 1995. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concesions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or Non-selection post | Age limit for direct recruits. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Assistant Library and Information Officer | 01* (1995) *Subject to variation depending on workload. | General Central Services Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- | Not Applicable. | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lahshadweep). | No |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of, Probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and Percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| Essential :<br>(i) Degree of a recognised University or equivalent;<br>(ii) Bachelors' degree or equivalent diploma in library science of a recognised university/ institute or equivalent.<br>(iii) Two year's professional experience in a library of standing.<br>(OR)<br>Diploma in computer applications from a recognised university or institute or equivalent.<br>1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br>Desirable :<br>Masters degree in library science of a recognised university or equivalent. | Not applicable | 2 years for direct recruits | Transfer on deputation failing which by direct recruitment. |

| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (12) | (13) | (14) |
| Transfer on deputation :<br>Officers under the Central Government :<br>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis;<br>OR<br>(ii) With three years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640—2900 or equivalent ;<br>OR<br>(iii) With eight years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400—2300/2600 or equivalent;<br>And<br>(b) Possessing the educational qualifications and | Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :<br>1. Adviser, Inter-State Council —Chairman.<br>2. Director (Administration) Inter-State Council —Member.<br>3. Director (Administration), Ministry of Home Affairs : Member.<br>4. Deputy Secretary, Inter-State Council : —Member. | Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment |

| (12) | (13) |
|---|---|
| experience prescribed for direct recruits under column 8.<br><br>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications). | Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held. |

[F. No. A-12011/8/94-ISC]
V.D. ALAM, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

(नारियल विकास बोर्ड)

शुद्धि पत्र

कोची, 7 दिसम्बर, 1995

सा. का. नि. 562:—भारत के दि० 17-6-1995 राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) के पृष्ठ संख्या 1366 –1385 मे प्रकाशित अधिसूचना सा. का. नि. 286 दि. 19 मई, 1995में क्रम संख्या 3 के सामने की अनुसूची में कालम 4 के तहत वेतनमान संबंधी वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं :

"रु. 1200 -30-1440 –द. रो. 30 -1800"

[फा. सं. 23/95 प्र.]

डा. एम. अरविन्दाक्षन, अध्यक्ष

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

(COCONUT DEVELOPMENT BOARD)

CORRIGENDUM

Kochi, the 7th December, 1995

G.S.R. 562.—In the notificaton G.S.R. 286 dated 19th May, 1995 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub Section (i) dated 17-6-1995, appearing on page Nos. 1366-1385 in the schedule against serial No. 3, under column 4 pertaining to scale of pay, for the existing entries the following entries shall be substituted :

"Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800."

[F. No. 23|95—Admn.]

DR. M. ARAVINDAKSHAN, Chairman

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1995

सा. का. नि. 563.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस निर्णय के प्रवर्तन छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक | 1 (एक)* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय | 1400-40-1800-द. रो.-50-2300 रुपये | लागू नहीं होता | नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है )। | 18–25 वर्ष |

टिप्पणी : 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) ।

टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं। | यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| (1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र। (10 + 2) या समतुल्य; (2) निम्नलिखित में से किसी एक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा : (ख) टीकाकरण पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम; या (ग) स्वास्थ्य निरीक्षण पाठ्यक्रम; और (3) सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभागीय अधिकारियों में से :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 1350–2200 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 1320–2040 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की है; या (4) जिन्होंने 1200–2040 रुपये वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (8) में विहित अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले तारीख किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए आधुनिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) |

| | |
|---|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
| 13 | 14 |
| विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) उप महानदेशक (चिकित्सा)—अध्यक्ष<br>निदेशक (प्रशासन और सतर्कता)—सदस्य<br>परिचर्या सलाहकार—सदस्य<br>संबंधित उप-निदेशक, प्रशासन (चिकित्सा)—सदस्य | लागू नहीं होता । |

[सं. ए-12018/4/94-आर आर/एम.ई. (यूजी)]

आर. रामामूर्ति, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 11th December, 1995

G.S.R. 563.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Male Health Supervisor in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Male Health Supervisor) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of Post | Number of post | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Male Health Supervisor | 1 (One) (1995)*<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 1400-40-1800-EB--50-2300. | Not applicable. |

| Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| No | 18—25 years.<br>(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note 1 : The crucial date for determining the age-limt shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br>Note 2. In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. | (i) Senior Secondary School Certificate (10+2) or its equivalent;<br>(ii) Certificate/Diploma in any of the following courses :<br>(a) Sanitary Inspector's Course; or<br>(b) Vaccination Supervisor's Course; or<br>(c) Health Inspector's Course; and<br>(iii) 2 years experience in the relevant field.<br>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified<br>Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste/Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees<br>[ | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer grade from which promotion,deputation/transfer to be made |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| Not applicable | 2 years | By transfer on deputation failing which by direct recruitment | Transfer on deputation :<br>Officers from the departments of the Central Government —<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ;<br>(ii) with three years regular service in the posts in the scale of Rs. 1350—2200; or<br>(iii) with four years regular service in the posts in the scale of Rs. 1320—2040; or<br>(iv) with five years regular service in the posts in the scale of Rs. 1200—2040; and |

| | 12 |
|---|---|
| | (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (8).<br>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department in the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.)<br>(The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) |

| If a Departmental Promotion Committee, exists what is its composition ? | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| 13 | 14 |
| Departmental Promotion Committee (For considering confirmation of direct recruits).<br>1. Deputy Director General (Medical)—Chairman<br>2. Director (Administration and Vigilance)—Member<br>3. Nursing Advisor—Member<br>4. Deputy Director Administration (Medical) concerned—Member | Not applicable. |

[No. A-12018/4/94-RR/ME/UG)]

R. RAMAMURTHY, Desk Officer.

## खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 564—खनन पट्टा (उपबन्धों का संशोधन) नियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस खान मंत्रालय की अधिसूचना सं० 11 (36) /77 खान 5/खान 6/एम एम दिनांक 8 जून, 1978 और इसके शुद्धिपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 1978 का अधिक्रमण करते हुए, श्री एन. एम. संगोदे की खनन पट्टा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में,केन्द्र सरकार श्री एन. एम. संगोदे क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों को दिनांक 1-12-1995 (पूर्वान्ह) से खनन पट्टा नियंत्रक, नागपुर के रूप में नियुक्त करती है। वह अगले आदेशों तक भारतीय खान ब्यूरो में अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त खनन पटटा नियंत्रक की ड्यूटी भी करेंगे।

2. श्री संगोदे खनन पट्टा नियंत्रक सम्पूर्ण भारत के लिए होंगे।

[सं. 13 (3) /95 खान—6]

रूप नारायण, अवर सचिव

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 22nd November, 1995

G.S.R. 564.—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Mining Leases (Modification of Terms) Rules, 1956 and in supersession of this Ministry's Notification No. 11(36)/77-M5/M6/MM, dated 8th June, 1978 and corrigendum dated 18th October, 1978, in so far as it relates to the appointment of Shri N. M. Sangode, as Controller of Mining Leases, the Central Government is pleased to appoint Shri N. M. Sangode, Regional Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines, as Controller of Mining Leases, Nagpur w.e.f. 1-12-1995 (F.N.). He will perform the duties of Controller of Mining Leases in addition to his duties in the Indian Bureau of Mines until further orders.

2. Shri Sangode, will be the Controller of Mining Leases for whole of India.

[No. 13(3)/95-M-VI.]

ROOP NARAYAN, Under Secy.

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1995

सा.का.नि. 565— अमरूद श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1995 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा के अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव या आक्षेप करने का इच्छुक कोई व्यक्ति उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय सरकार कार्यालय काम्प्लैक्स, नया भवन, नेभरहुड–4 फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को भेज सकता है जो उसे केन्द्रीय सरकार के विचार करने के लिए अग्रेषित करेगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमरूद श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1995 है।

(2) ये अमरूद सोडियम गुआजावा (एल) पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत पैकट" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार अमरूद का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से श्रेणी अभिधान चिह्न से अमरूद का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है ;

(ङ) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से, यथास्थिति, नियम 5 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट एगमार्क लेबल या नियम 5 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट एगमार्क प्रतिकृति अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए उन श्रेणियों के श्रेणी अभिधान जो अनुसूची-II के स्तम्भ 1 के अन्तर्गत दी गई अमरूदों को क्वालिटी उपदर्शित करती है, नाम होंगे।

4. क्वालिटी की परिभाषा :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए, क्वालिटी की परिभाषा यही होगी जो अनुसूची–II के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 5 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई है।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह—(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह में अनुसूची 1 के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट एगमार्क लेबल होगा और उस पर वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान और अनुसूची 1 के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट डिजाइन के सदृश भारत के मानचित्र के रेखाचित्र का डिजाइन विनिर्दिष्ट होगा जिसमें 'AGMARK' शब्द के साथ उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 10 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी प्राधिकृत पैकर को एगमार्क लेबल के बदले में अनुसूची 1 के भाग 2 में यथा विनिर्दिष्ट एगमार्क प्रतिकृति का, जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र का संख्यांक, "एगमार्क" और 'AGMARK' शब्द, सम्मिलित करते हुए डिजाइन, वस्तु का नाम और श्रेणी अभिधान होगा, उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

6. पैक करने की रीति :—(1) अमरूद को जूट के थैलों, बहुव्यूतित थैलों, छिद्रित, पोलिथिलीन के थैलों, बारकेंट लकड़ी की पेटियों/क्रेटों या अन्य उपयुक्त आधानों में, जो स्वच्छ, सुदृढ़ और कीट फफूंद संक्रमण से मुक्त होंगे, पैक किया जाएगा।

(2) सूखी घास, पुआल, पत्तों, कागज की कतरनों, जैसी ऐसी उपयुक्त गद्देदार सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा जो स्वच्छ, शुष्क, फफूंद संक्रमण, कीट ग्रसन और हानिकर गंध मुक्त होगी।

(3) प्रत्येक पैकेज में उसी किस्म और उसी श्रेणी अभिधान के जो उचित रूप से एकसमान होंगे, फल होंगे और ऊपरी परत, आकार, आकृति परिपक्वता रंग की बाबत पैकेज की समस्त अंतर्वस्तु की द्योतक होगी और प्रकट दोषों से मुक्त होगी।

(4) प्रत्येक पैकेज को मजबूती से बंद किया जाएगा।

7. चिन्हांकन की रीति.—(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह को कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित अमरूद के प्रत्येक पैकेज पर अच्छी तरह से चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रत्येक लेबल या आधान पर स्पष्ट रूप से और अमिट रूप में चिन्हांकित की जाएगी :—

(क) पैकर का नाम और पता,

(ख) पैकिंग का स्थान;

(ग) पैकिंग की तारीख, मास और वर्ष में,

(घ) लॉट/बैच संख्या,

(ङ) शुद्ध वजन,

(च) श्रेणी,

(छ) सभी करों सहित अधिकतम खुदरा कीमत (केवल देशी बाजार के लिए)।

(3) चिन्हांकन के लिए उपयोग की गई स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो अमरूद को संदूषित न करे।

(4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का या साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड चिन्हांकित कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करे।

भाग—I

अनुसूची I

[नियम 5(1) देखें]

(श्रेणी अभिधान चिन्ह)

भाग II

अनुसूची— I

[नियम 5(2) देखिए)]

श्रेणी अभिधान चिह्न

NAME OF COMMODITY .. .. .. ..

GRADE .. .. .. .. .. ..

अनुसूची—II

(नियम 3 और नियम 4 देखिए)

श्रेणी अभिधान और अमरूदों की क्वालिटी की परिभाषा

| श्रेणी अभिधान | क्वालिटी की परिभाषा | | | |
|---|---|---|---|---|
| | विशेष अपेक्षाएं | | | साधारण अपेक्षाएं |
| | आकार* (मिली मी. में व्यास) | फल का आकार | फल का रंग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रेणी I | 80 मिली मी. और अधिक | गोलाकार या अंडाकार या गोलाकार अंडाकार | हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल | अमरूद —<br>(1) वानस्पतिक रूप से सात माइर्टेसी परिवार के "सोडियम गुआजावा (एल) वृक्ष में प्राप्त फल होगा ; |
| श्रेणी II | 60 मि.मी. लेकिन 80 मि.मी. | गोलाकार या अंडाकार या गोलाकार अन्डाकार | हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल | (2) देखने में सुविकसित, कड़ा, स्वच्छ और ताजा होगा; |
| श्रेणी III | 40 मि.मी. से 60 मि.मी. तक | गोलाकार या अंडाकार या गोलाकार अंडाकार | हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल | (3) आकृति, आकार, रंग , परिपक्वता, कम बीज वाला और किस्मों की सुसंगत विशेषताओं के उचित रूप में अनुरूप होगा ; |

| | |
|---|---|
| | (4) फफूंदी, कीट, बीमारी, कुलुप और चिड़ियों के संक्रमण से मुक्त होगा; |
| | (5) कुरचना, खालले कोर, यांत्रिकी/वास्तविक हानि और पाला द्वारा हुई क्षति से मुक्त होगा ; |
| | (6) बाह्य नमी, अतिरिक्त गंध के और/या स्वाद से मुक्त होगा । |
| | (7) अच्छी व्यापार योग्य दशा और सभी प्रकार से मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त होगा ; |
| | (8) खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 के अधीन यथा विहित एफलाटाक सिन अंतर्वस्तु, धात्विक संदूषक कीटनाशी अवशिष्टों के संबंध में निबंधनों का अनुपालन करेगा ; |
| | (9) 'ईकोमार्क' "ECO MARK" के लागू होने के लिए सुसंगत नियमों के अधीन विहित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा । |

* श्रेणी में आकस्मिक चूक के लिए अगले निम्नतर श्रेणी के वजन द्वारा आकार में 5 प्रतिशत के अंतर के सहन को अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—

1. उसी प्रकार की किस्मट को विशेषताओं : किस्म की विशिष्ट पहचान योग्य विशषताएं ।

2. रंग :—अमरूदों में किस्म के विशिष्ट रंग होंगे ऊपरी रंग या तो हरेपन पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल रंग का होगा :—

3. सख्त :—मुलायाम या पिलपिला नहीं होगा ।

4. अच्छी तरह विकसित :—फलों में किस्म की आकृति और आकार की विशेषताएं होगी।

5. बिगड़ा आकार :—दिखने में विकसित प्रक्षपित हो।

6. खोखला कोर : अंदर की ओर गुहिस्का बन जाती है बीज या गुदा नहीं होता है।

7. क्षति :—कोई खराबी या हानि जिससे खाने योग्य या विपणन क्वालिटी के अमरूद प्रभावित होते हों ।

परिपक्वता :—अमरूदों को उचित परिपक्व अवस्था में तोड़ा (उठाया) जाएगा ताकि परिवहन और भंडारण के दौरान बाद में पक जाए।

[फा.सं. 18011/9/94-एम II]
पी. ज्योति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF RURAL AFFAIRS AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th November, 1995

G.S.R. 565.—The following draft of the Guavas Grading and Marking Rules, 1995 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published as required by the soid section, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of forty-five days from the date on which the Gazette containing this notification is made available to the public ;

Any person desiring to make any suggestion or objection in respect of the said draft rules, may forward the same for consideration by the Central Government, within the period specified to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Central Government Offices Complex, New Building, Neighbourhood-IV, Faridabad (Haryana) 11001 who shall forward the same to the Central Government for consideration ;

### DRAFT RULES

1. Short title, application and commencement :

(1) These rules may be called the Guavas Grading and Marking Rules, 1995.

(2) They shall apply to Guavas (Psidium guajaba L.).

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark the Guavas in accordance with the grade standards and procidure prescribed under these rules ;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a prson or a body of persons to grade and mark Guavas with the grade designation marks;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "Grade designation mark" means the Agmark label referred to in sub-rule (1) of rule 5 or the Agmark replica referred to in sub-rule (2) of rule 5 as the case may be;

(f) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

3. Grade desinations:—For the purpose of these rules the grade designations shall be the names of the grades which indicate the quality of guavas as given under column-I of Schedule-II.

4. Definition of quality:—For the purpose of these rules the definition of the quality shall be such as given against each grade designation from columns 2 to 5 of Schedule-II.

5. Grade designation marks.—(1) The grade designation mark shall consist of the mark label as specified in part-I of Schedule-I and shall specify the name of the community, grade designation and a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and a figure of the rising sun resembling the design as specified in part-I of Schedule-I;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, subject to the conditions specified in sub-rule (4) of rule 10 of the General Grading and Marking Rules, 1988 may permit an authorised packer to use Agmark replica as specified in part II of Schedule-I consisting of a design incorporating the number of certificate of Authorisation, the word, "AGMARK", the name of the commodity and grade designation, instead of Agmark label.

6. Method of packing.—(1) Guava shall be packed in jute bags, poly-woven bagss, perforated polythylene bags, baskets, wooden boxes/crates or other suitable containers which shall be clean sound and free from insect/fungal infection :

(2) Suitable cushioning materials such as dry grass, paddy straw, leaves, paper shavings may be used which shall be clean, dry, free from fungal infection, insect attack and obnoxious smell;

(3) Each package shall contain fruits of the same variety and of the same grade designation, reasonably uniform and the top layer shall be representative of the entire contents of the package in respect of size, shape, maturity, colour and free from visible defects;

(4) Each package shall be securely closed.

7. Method of Marking :—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package of guavas in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1998 :

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each label or container :—

(a) Name and address of the packer;

(b) Place of packing;

(c) Date of packing, in month & year;

(d) Lot|batch number;

(e) Net weight;

(f) Grade;

(g) Maximum retail price inclusive all taxes (only for domestic market);

(3) The ink used for marking shall be of such quality which does not contaminate the guavas.

(4) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988. mark his private trade marks or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

PART-I

SCHEDULE-I
(See Rule 5(1))
Grade designation mark

PART-II

SCHEDULE-I
(See Rule 5 (2))
Grade designation mark

NAME OF COMMODITY.................................
GRADE————————————————————

SCHEDULE-II

(See Rule 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Guavas

| Grade designation | Definition of Quality | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Special requirements | | | |
| | Size* (Diameter in millimetres) | Fruit Shape | Fruit Colour | General requirements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grade-I | 80 mm. and above | Roundish or ovate or Roundish ovate | Greenish yellow or staraw yellow or pinkish yellow or red. | Guavas shall : — (1) be the fruits obtained from the tree botanically known as "psidium guajava L." of family myrtaceae; (2) be well developed, mature, firm clean and fresh in appearance; (3) be reasonably uniform in shape ,size, colour maturity and characteristics relevant to the variety with less seeds; (4) be free from mould, insects, diseases, blemis and birds attack; (5) be free from malformation, hollow-core, mechanical/physical injury and damage caused by frost. (6) be free from external moisture, foreign s ll and/or taste; (7) be in sound merchantable condition a fit for human consumption in all respects; (8) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants and insecticides residues as prescribed under the prevantion of Food Adulteration Rules, 1955; (9) comply with requirements prescribed under relevant rules for application of "ECOMARK |
| Grade-II | >60 mm. but <80 mm. | Roundish or ovate or Roundish ovate | Greenish yellow or staraw yellow or pinkish yellow or red. | |
| Grade-III | 40 mm. to 60 mm. | Roundish or ovate or Roundish ovate | Greenish yellow or staraw yellow or pinkish yellow or red. | |

* Tolerance of 5% variation in size by weight of next lower grade shall be allowed for accidental errors in grading.

Explanations :

(1) Similar varietal characteristics :—Typical identifiable characteristics of the variety.

(2) colour :—Guavas having characteristic colour of the variety. The colour of the skin may be either greenish yellow or straw yellow or pinkish yellow or red.

(3) Firm :—Not soft or ixabby.

(4) Well-developed :—Fruits having characteristic shape and size of the variety.

(5) Mal-Formed :—Deformed appearence, having protrusions.

(6) Hollow-core : A cavity formed inside and without seed or pulh.

(7) Damages :—Any defect or injury which affects the edible or the malketable quality of guavas.

(8) Maturity:—Guavas shall have been picked at the proper stage of maturity, so as to hermit the subseuent ripening during transportation and storage.

[F. No. 18011/9/94-M. II]

P. JYOTI RAO, Jt. Secy.

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1995

सा. का. नि. 566.—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के खंड 33 के उपखंड (7) के साथ पठित खंड 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और लागू करना :—(1) इन नियमों को रेल दर अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1995 कहा जाए ;

2. ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे :—

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" का अर्थ रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) से है,

(ख) अधिकरण का अर्थ अधिनियम के खंड 33 के अंतर्गत स्थापित रेल दर अधिकरण से है,

3. अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति :—

अधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम के अध्याय VII के खंड 33 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

4 वेतन (1) अध्यक्ष यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है तो उसका वेतन प्रतिमाह 8000/- रुपये होगा और यदि वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या उस नियुक्ति से पूर्व उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो तो उसका वेतन प्रतिमाह 9000/- रुपये होगा।

अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो और जो सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्त अंशदान या किसी अन्य के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है तो उसके द्वारा प्राप्त की गई या की जाने वाली पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के समकक्ष पेंशन या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभ की सकल राशि उसके वेतन में से घटा दी जाएगी।

(2) सदस्य को प्रतिमाह 5900–6900 रु. (न. स. वे.) के वेतनमान में वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड में वेतन मिलेगा।

सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो और जो पेंशन उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए हैं तो उनके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के समकक्ष पेंशन की सकल राशि उनके वेतन में से घटा दी जाएगी।

5. महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता—अध्यक्ष तथा सदस्य की महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता उन्हीं दरों पर उनके वेतन के बराबर मिलेगा जो उनके समकक्ष वेतन पाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन समान वेतनमान वाले ग्रुप "ए" अधिकारी को अनुमेय है।

6 अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से सेवानिवृत्त :—

(1) उच्चमत न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के मामले में, जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अधिकरण में उनकी सेवा को भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग घ के पैरा ii के खंड (ख) के उपखंड (i) के अर्थ के अन्तर्गत वास्तविक सेवा माना जाएगा,

(2) अधिकरण में नियुक्ति की तारीख से, जो सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवारत था, अधिकरण में नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेगा।

7. छुट्टी (i) अधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर, व्यक्ति छुट्टी के लिए निम्नानुसार पात्र होगा:—

1. सेवा का प्रत्येक वर्ष पूरा किए जाने के लिए पन्द्रह दिन के हिसाब से अर्जित अवकाश और उसके भाग के लिए अनुपातिक छुट्टी,

2. सेवा का प्रत्येक वर्ष पूरा किए जाने के संबंध में बीस दिनों के हिसाब से चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामलों पर अर्ध वेतन छुटटी तथा अर्ध वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन अर्जित वेतन के दौरान अनुमत छुट्टी वेतन के आधे का समतुल्य होगा।

3. अध्यक्ष या सदस्य के स्वनिर्णय पर अर्ध वेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन छुट्टी के रूप में विनिमय किया जा सकता है, बशर्ते कि यह चिकित्सा के आधार पर और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया गया है।

4. कार्यालय की पूरी अवधि के दौरान एक सौ अस्सी दिनों की अधिकतम अवधि तक बिना वेतन और भते के असाधारण छुट्टी ली जा सकती है।

(2) यदि अध्यक्ष या सदस्य, अधिकरण के कार्य में व्यस्त रहने के कारण पूरी छुट्टी नहीं ले पाता है तो वह न ली गई छुट्टी की अवधि को अपनी छुट्टी लेखे में जोड़ने का हकदार होगा :—

बशर्ते कि न ली गई छुट्टी की अवधि सहित अर्जित छुट्टी की कुल अवधि एक वर्ष में 30 दिन से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण —इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, छुट्टी का अर्थ अधिकरण द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दी जाने वाली तीस दिन की छुट्टी से है।

(3) अधिकरण में उसकी कार्यावधि समाप्त होने पर अध्यक्ष या सदस्य के खाते में बकाया अर्जित छुट्टी के सबध में छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(3) अधिकरण में उसकी कार्यावधि समाप्त होने पर अध्यक्ष या सदस्य के खाते में बकाया अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद प्राप्त करने के हकदार होंगे।

बशर्ते कि इस उप-नियम के अन्तर्गत संराशिकृत छुट्टी की अवधि जिसमें पिछली सेवा के दौरान पहले से ही संराशिकृत छुट्टी की अवधि शामिल है, 240 दिनों से अधिक नहीं होंगी।

(4) ऐसे छुट्टी के वेतन के समतुल्य नकद मे, अधिकरण में कार्यभार छोड़ने की तारीख में प्रचलित दरों पर छुट्टी वेतन पर महग.ई भत्ता, शामिल होगा लेकिन इसमें प्रतिपूरक नगर भत्ता या कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं होगा।

8. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी :—

अध्यक्ष, सदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. भविष्य निधि— अध्यक्ष, या सदस्य अपने विकल्प से सामान्य भविष्य निधि में जमा कराने के पात्र होंगे। और यदि वह ऐसा विकल्प देते है तो वे सामान्य भविष्य निधि के नियमों के प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे।

बशर्ते कि अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, वे अधिकरण में कार्यभार संभालने से पहले अनुमत नियमों द्वारा शासित होंगे।

10. दौरा/स्थानान्तरण के दौरान यात्राएं:— (1) अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था इस नियम के अधीन उसके हकदारी के संबंध में जैसा भी मामला हो सेवारत या सेवानिवृत न्यायाधीशों के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (यात्रा भत्तों) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(2) अधिकरण का सदस्य जब दौरे/स्थानान्तरण पर होगा तो केन्द्रीय सरकार में समकक्ष वेतनमान के ग्रुप "ए" के अधिकारी को लागू उन्हीं वेतनमान और दरों पर देय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निजी सामान के परिवहन और अन्य समरूप मामलों का हकदार होगा।

11. अध्यक्ष और सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश—

(1) किसी मंत्रालय द्वारा दी गई यात्रा रियायतों के सादृश्य रेलों से भिन्न स्रोत से नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्य को केवल गुहनगर जाने के प्रयोजन के लिए वर्ष में किसी भी समय लिया जा सकने वाला पहले दर्जा "ए" का पूरक सुविधा टिकट आदेश का एक सेट जिसमें परिवार भी शामिल होगा, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

(2) रेलों से इतर सेवा के नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्य को कार्यविधि की समाप्ति पर सामान्य नियमों के अधीन यथा अनुमत अधिकरण के मुख्यालय से गृह नगर तक यात्रा के लिए केवल स्वयं और पत्नी के लिए एक पहला दर्जा "ए" का पूरक पास और निजी सामान्य और कार, यदि है, परिवहन के लिए एक किट पास की अनुमति दी जाएगी।

(3) रेलों से नियुक्त अन्य सदस्य सेवा निवृत्त रेल अधिकारी के रूप में सेवा निवृत्ति के पासों के हकदार रहेंगे।

12. आवास : (1) सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लाईसेंस फीस का भुगतान करके केन्द्रीय सरकार के एक सरकारी आवास यदि उपलब्ध है, का प्रयोग करने का हकदार होगा बशर्ते कि अध्यक्ष उच्च/उच्चतम न्यायालय के सेवारत पुनर्नियोजित न्यायाधीशों जैसा भी मामला हो, यथा अनुमय निबंधनों पर आवास का हकदार हो,

(2) ऐसे स्टेशनों पर जहां केन्द्रीय सरकार का आवास उपलब्ध नहीं है अध्यक्ष या सदस्य के लिए रिहायशी आवास, किराया प्रभार पर ऐसी उच्चतम सीमा जो कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पटटे पर किराए पर लिया जा सकता है।

(3) यदि अध्यक्ष या सदस्य को उप-नियम (1) और (2) में उल्लिखित आवास नहीं दिया जाता या उसके द्वारा उपयोग नहीं किया जाता तो यदि वह सदस्य है तो उसें केन्द्रीय सरकार के समकक्ष वेतनमान के अधिकारी को समय-समय पर यथा अनुमत प्रतिमास मकान किराया भत्ता दिया जाए और यदि वह अध्यक्ष है तो उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय के पुनर्नियोजित सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को अनुमत दर पर मकान किराया भत्ता माह संदत्त किया जाए।

(4) जब अध्यक्ष या सदस्य अनुमत अवधि के बाद सरकारी आवास पर कब्जा रखता है तो वह केन्द्रीय सरकार में समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार बेदखली के लिए दायी होने के अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी आवास के आवंटन को शासित करने वाले केन्द्रीय सरकार के तदनुरूप नियमों के अधीन यथा उदग्राह्य ऐसी अतिरिक्त लाईसेंस फीस या अन्य प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

13. सरकारी परिवहन के सुविधा : (1) अधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम उच्च न्यायालय के पुनर्नियोजित न्यायाधीशों को यथा अनुमत निबंधनों स्टाफ कार का हकदार होगा।

(2) सदस्य समतुल्य वेतन लेने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू स्टाफ कार सुविधाओं के उपयोग को शासित करने वाले नियमों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजन के लिए यात्रा हेतु स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

14. डाक्टरी चिकित्सा की सुविधाएं :—अध्यक्ष या सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में यथा उपलब्ध डाक्टरी चिकित्सा और अस्पताल सुविधाओं के अधिकारी होंगे और जब स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना परिचलन में नहीं है, केन्द्रीय सेवा चिकित्सीय परिचर्या नियम 1944 में यथा मुहैया सुविधा के हकदार होंगे, अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत वेतनमान लेने वाले समतुल्य वेतनमान के अधिकारियों के लिए लागू स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं या जहां समतुल्य वेतनमान न हों, वहां रेल प्रशासन के अंतर्गत उच्चतम वेतनमान लेने वाले अधिकारियों पर लागू सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

15. अध्यक्ष की सेवा की शर्तें आदि :— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सेवा की शर्तों और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के सेवारत न्यायाधीश को स्वीकार्य अन्य परिलब्धियां अध्यक्ष को भी उपलब्ध होंगी।

16. पदावधि पूरी होने के बाद अधिकरण के समक्ष पेशी :—उनकी पदावधि पूरी होने पर, अध्यक्ष या सदस्य उक्त अधिकरण को भेजे गए किसी मामले में रेल दर अधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेंगे।

17. अवशिष्ट व्यवस्था:—अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की कोई शर्त जिसके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, अध्यक्ष के मामले में फिलहाल भारत सरकार के सचिव पर लागू नियम और आदेश लागू होंगे और सदस्य के मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के रेल अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम और आदेश लागू होंगे।

18. नियमों में छूट की शक्तियां :—केन्द्र सरकार को व्यक्तियों की किसी श्रेणी या कोटियों के संबंध में लिखित में दर्ज कारणों के लिए इनमें से किसी नियम में छूट देने का अधिकार होगा।

[संख्या 90/ई (ओ) II/ 28/1]

एम. ए. ए. जैदी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Raiway Board)

New Delhi, the 17th October, 1995

G.S.R. 566.—In exercise of the powers conferred by section 198 read with sub-section (7) of section 33 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway Rates Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the *Official Gazette*.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(b) "Tribunal" means the Railway Rates Tribunal established under section 33 of the Act.

3. Appointment of the Chairman and the other Members—Appointment of the Chairman and the other Members of the Tribunal shall be made in accordance with the provisions of section 33 of Chapter VII of the Act.

4. Pay.—(1) The Chairman shall receive a pay of Rs. 8000 per month if he is or has been a High Court Judge and Rs. 9000 per month if he is or has been Chief Justice of a High Court or a Judge of the Supreme Court before such appointment.

Provided that in the case of appointment of a person as the Chairman, who has retired as a Judge of the Supreme Court or a High Court and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employer's contribution to contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to the Contributory Provident Fund to any other forms of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

(2) A Member shall receive pay in the Senior Administrative Grade in the scale of Rs. 5900—6700 (RPS) per month.

Provided that in the case of appointment of a person as Member, who has retired from service under Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employer's contribution to contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to the Contributory Provident Fund, if any drawn, or to be drawn by him.

5. Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.—The Chairman, and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance appropriate to their pay at the same rates as are admissible to a Group 'A' officer in the same scale of pay under the Central Government drawing an equivalent pay.

6. Retirement from parent service on appointment as Chairman or a Member—

(1) In the case of a sitting Judge of the Supreme Court or a High Court who is appointed as Chairman, his service in the Tribunal shall be treated as actual service within the meaning of sub-clause (i) of clause (b) of paragraph 11 of part D of the Second Schedule to the Constitution of India.

(2) A Member who on the date of his appointment to the Tribunal, was in the service under the Central Government or a State Government shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal.

7. Leave.—(1) A person, on appointment in the Tribunal as Chairman or Member shall be entitled to leave as follows:

(i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed year of service and proportionate leave for a part thereof ;

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs, at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave ;

(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairman or Member, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority ;

(iv) extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

(2) If the Chairman, or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add th unenjoyed period of vacation to his leave account ;

Provided that the total period of earned leave including the unenjoyed period of vacation shall not exceed 30 days in a year.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule 'vacation' means vacation of thirty days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman or Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit.

Provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule shall not exceed 240 days, including the period of leave already encashed while in previous service.

(4) The cash equivalent of such leave salary shall include dearness allowance on leave salary at the rates in force on the date of relinquishment of office in the Tribunal but shall not include Compensatory (city) allowance or any other allowances.

8. Leave sanctioning authority—The chairman shall be the authority competent to sanction leave to a Member, and the President of India through the Ministry of Railways (Railway Board) shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

9. Provident Fund—The Chairman, or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and, in the case of his so opting shall be governed by the provisions of the General Provident Fund Rules.

Provided that if the Chairman, was a Judge of Supreme Court or of a High Court he shall continue to be governed by the Rules as were applicable to him before his joining the Tribunal.

10. Journeys on tour/transfer—(1) A Chairman who was a Judge of Supreme Court or of a High Court shall continue to be governed by the provisions of the Supreme Court or High Court Judges (Travelling Allowances) Rules for serving or retired Judges as the case may be regards his entitlements under this rule.

(2) A Member of the Tribunal shall while on tour/transfer be entitled to travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' officer of equivalent pay scale in the Central Government.

11. Leave Travel Concession Privilege Passes/PTOs for Chairman and Members—

(1) On the analogy of the travel concessions extended by the Ministry of Finance the Chairman and the other member appointed from a source other than the Railways will be granted one set of First Class 'A' Complementary Privilege Ticket Orders per annum, which will include the family also, to be availed of at any time in the year exclusively for the visiting the home town.

(2) On the expiry of the term of office the Chairman and the other Member appointed from a service other than the Railways will be allowed one First Class 'A' complimentary pass for self and wife only for journey from the headquarters of the Tribunal to the home town and a kit pass for transportation of household effects and car, if any, as admissible under the normal rules.

(3) The other member appointed from the Railways will continue to be eligible for post retirement passes as a retired Railway officer.

12. Accommodation.—(1) Every person appointed to the Tribunal as Member shall be entitled to the use of an official residence from the Central Government if available, on payment of license fee at the rates prescribed by the Central Government from time to time provided that the Chairman shall be entitled to accommodation on terms as admissible to the serving/re-employed judges of High/Supreme Court, as the case may be.

(2) Residential accommodation for the Chairman or a Member at such stations where Central Government accommodation is not available may be hired on leave by the Central Government subject to such ceiling on hire-charge as may be specified by the Central Government from time to time.

(3) When the Chairman, or a Member is not provided with, or does not avail himself of the accommodation referred to in sub-rules (1) and (2) he may be paid, every month, house rent allowance as may be admissible from time to time to an officer of equivalent pay scale in the Central Government if he is a Member and at the rate admissible to re-employed retired judges of High Court or Supreme Court if he is Chairman.

(4) When the Chairman, or a Member occupies an official residence beyond the permissible period, he shall be liable to pay such additional license fee or other charges as are leviable under corresponding rules of the Central Government governing allotment of Central Government accommodation in addition to being liable to eviction in accordance with the rules applicable to the officers drawing equivalent pay in the Central Government.

13. Facility of official transport.—(1) Chairman of the Tribunal shall be entitled to a staff car on the terms as admissible to re-employed judges of Supreme/High Court.

(2) The Members shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purpose in accordance with the rules governing use of staff car facilities applicable to officers of the Central Government drawing equivalent pay.

14. Facilities for medical treatment.—The Chairman, or Member shall be entitled to Medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme and in places where the Central Government Health Scheme is not in operation, as provided in the Central Services Medical Attendance Rules, 1944. The Chairman and Members shall be entitled to avail of the Health Service facilities applicable to the officers of equivalent pay scale under the Central Government or where there are no equivalent pay scales to facilities applicable to officers drawing the highest pay under the Railway Administration.

15. Conditions or service etc. of the Chairman.—Notwithstanding anything contained in these rules the conditions of service and other perquisities available to the Chairman shall be the same as admissible to a serving Judge of the High Court or Supreme Court, as the case may be.

16. Appearance before the Tribunal after completion of tenure of office : On completion of their tenure of office, the Chairman or the Member shall not plead or act before the Railway Rates Tribunal in any case referred to the said Tribunal.

17. Residual provision—Any condition of service of the Chairman, or Member for which no express provision has been made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India in the case of Chairman and by the Rules and orders applicable to Railway officers of Senior Administrative Grade in the case of Members.

18. Powers to relax rules—The Central Government shall have power, for reasons to be recorded in writing, to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. 90/E(O) ii/28/1]

S. A. A. ZAIDI, Secy.
Railway Board and
ex officio Addl. Secy.

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1995

सा. का. नि. 567.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अन्वेषक के पद के भर्ती नियम 1984 जिन्हें तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 9 जनवरी, 1985 सा. का. नि. 85 के तहत भारत सरकार की अधिसूचना के साथ प्रकाशित किया गया था, एतद्द्वारा संशोधन करते हुए नियम बनाते हैं,

1(1) इन नियमों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (अन्वेषक का पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 1985 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू माने जाएंगे।

2. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (अन्वेषक के पद) के भर्ती नियम 1984, की सूची हेतु, आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं से संबंधित सीधी भर्ती के लिए कालम 7 में प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे अर्थात् :—

"गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक की उपाधि"।

[मिसिल संख्या 3 (5)/90-प्रशासन-3 (खण्ड-2)]

डी. के. मुखोपाध्याय, अवर विकास आयुक्त

नोट :—1984 के मुख्य नियम सा. का. नि. सं. 85 दिनांक 9 जनवरी, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये हैं तथा तत्पश्चात् सा. का. नि. सं. 992 दिनांक 28 अक्तूबर, 1985 तथा सा० का. नि. सं. 304 दिनांक 7 मई, 1990 के अन्तर्गत संशोधित किये गये।

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi, the 6th December, 1995

G.S.R. 567.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) (Post of Investigator) Recruitment Rules, 1984, published with the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce No. G.S.R. 85 dated the 9th January, 1995.

1. (i) These rules may be called the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) (Post of Investigator) Recruitment (Amendment) —Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) (Post of Investigator) Recruitment Rules, 1984, For the entry under column 7 relating to Educational and other Qualifications required for direct recruits, the following shall be substituted, namely :—

"Bachelor's Degree with Mathematics|Statistics|Economics as a subject :

[F. No. 3(5)|90-Admn. III (Vol. II)]

D. K. MUKHOPADHYAY, Addl. Development Commissioner

NOTE : The Principal Rules of 1984 have been published under G.S.R. No. 85 dated 9th January, 1995, and have subsequently been amended under G.S.R. No. 992 dated the 28th October, 1985 and G.S.R. No. 304 dated the 7th May, 1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995